अनिल कुमार और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (मुख्य न्यायधीश ए.के सीकरी) आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा

चीफ जस्टिस ए.के. सीकरी और जस्टिस राकेश कुमार जैन के समक्ष

याचिकाकर्ता - अनिल कुमार और अन्य

बनाम

प्रतिवादी - हरियाणा राज्य और अन्य

2012 का सीडब्ल्यूपी नंबर 24447

मार्च 5,2013

भारत का संविधान, 1950 - कला, 226 और 22 7 - हरियाणा शिक्षा (कॉलेज कैडर) ग्रुप बी सेवा नियम, 1986 (2013 में संशोधित) - सेवा नियम, 2010 (2012 में संशोधित) - विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 - एस. 4 - सहायक प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम पात्रता - पीएचडी डिग्री रखने वाले उम्मीदवारों के लिए यूजीसी द्वारा राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) उत्तीर्ण करने की प्रशंसनीय शर्त में छूट दी गई है। डिग्री - 2012 में सेवा नियमों में संशोधन - यह प्रावधान करना कि ऐसी पीएचडी ।X डिग्री राज्य/केंद्रीय विश्वविद्यालयों से प्राप्त की जानी चाहिए और पीएचडी ।X डिग्री केवल उन निजी विश्वविद्यालयों से प्राप्त की जानी चाहिए जिन्हें राष्ट्रीय मूल्यांकन द्वारा "ए" ग्रेड विश्वविद्यालयों के रूप में मान्यता दी

गई है। नेट के बदले मान्यता परिषद (एनएएसी) में छूट पर विचार किया जाएगा - विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों और इससे संबद्ध संस्थानों में शिक्षकों की नियुक्ति और कैरियर उन्नति के लिए आवश्यक न्यूनतम योग्यता) विनियमन, 2000 - रेग। 26(1) - पीएच.जे. वाले सभी उम्मीदवारों को छूट, डिग्री की परवाह किए बिना उस विश्वविद्यालय से जहां से ऐसी डिग्री प्राप्त की गई है - राज्य सरकार के पास ऐसा कोई प्रावधान नहीं हो सकता है जो यूजीसी विनियमों के विपरीत हो - यह न्यायिक जांच में खड़ा नहीं होगा - यूजीसी शिक्षा के न्यूनतम मानकों पर विनियम - अनिवार्य और अनुशंसात्मक नहीं - ऐसे विनियम बाध्यकारी प्रभाव डालते हैं - एक बार याचिकाकर्ता यूजीसी द्वारा बनाए गए विनियमों के आवेदन पर छूट के हकदार हो जाते हैं, तो उन्हें विवादित विनियमों के आधार पर वंचित नहीं किया जा सकता है, जो इसके विपरीत हैं यूजीसी द्वारा बनाए गए नियम - सेवा नियम, 2010 और साथ ही हरियाणा शिक्षा (कॉलेज कैडर) समूह 11 सेवा (संशोधन) नियम, 2013 उस हद तक अलग रखे गए हैं, जहां तक ये नियम निर्दिष्ट करते हैं कि पीएच.डी. डिग्रियाँ केवल उन्हीं निजी विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान की जाती हैं जिन्हें उन्होंने नेट के बदले छूट के लिए नैक द्वारा 'ए' ग्रेड विश्वविद्यालयों के रूप में मान्यता दी है।

माना गया, कि डब्ल्यूसी का विचार है कि जहां तक नियमों में संशोधन करने और केवल उन पीएच.डी. को छूट देने का उद्देश्य और उद्देश्य है। जिन डिग्री धारकों को केंद्रीय/स्टेट

विश्वविद्यालयों द्वारा डिग्री प्रदान की गई है और उन निजी विश्वविद्यालयों को जिन्हें एनए एसी द्वारा "ए" ग्रेड विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता दी गई है, प्रामाणिक हैं और यहां तक कि प्रशंसनीय भी प्रतीत होते हैं। हालाँकि, साथ ही, महत्वपूर्ण प्रश्न जिस पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है वह यह है कि क्या राज्य के पास कोई नियम या शर्त हो सकती है जो यूजीसी द्वारा बनाए गए नियमों के विपरीत है। सब कुछ कहा और किया गया, भले ही हम यह मान लें कि इस तरह के प्रावधान के पीछे का उद्देश्य सामान्य है, अगर कानूनी स्थिति यह है कि राज्य सरकार के पास ऐसा कोई प्रावधान नहीं हो सकता है जो यूजीसी विनियमों के विपरीत हो, तो यह न्यायिक जांच में खड़ा नहीं होगा।

आगे कहा गया कि, इसलिए, तर्क यह है कि यूजीसी केवल एक सिफारिशी निकाय है जो विश्वविद्यालयों को सिफारिशें प्रदान करता है और इसकी भूमिका कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में शिक्षा के न्यूनतम मानकों और नियुक्ति के लिए यूजीसी द्वारा निर्धारित मानदंडों पर विनियम तैयार करने में सीमित है। विभिन्न पदों के लिए आवेदन केवल अनुशंसात्मक हैं, अनिवार्य नहीं, इसे अस्वीकार किया जाना चाहिए।

आगे कहा गया है कि यूजीसी ने अब विनियम, 2009 तैयार कर लिया है, जैसा कि ऊपर बताया गया है। इसके विनियम-2 में यह भी प्रावधान है कि ये विनियम केंद्रीय अधिनियम, प्रांतीय

अधिनियम या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके तहत स्थापित या निगमित प्रत्येक विश्वविद्यालय पर लागू होंगे, प्रत्येक संस्थान जिसमें एक घटक या एक संबद्ध कॉलेज शामिल है जो खंड के तहत संबंधित विश्वविद्यालय के परामर्श से आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त है । यूजीसी अधिनियम की धारा 2 और प्रत्येक संस्थान को उक्त अधिनियम की धारा 3 के तहत एक विश्वविद्यालय माना जाता है। यूजीसी अधिनियम की धारा 26 की उप-धारा (1) के खंड (ई) और (जी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इन नियमों को भी तैयार किया गया है, जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (नियुक्ति के लिए आवश्यक न्यूनतम योग्यता) के माध्यम से संशोधित किया गया है। और विश्वविद्यालयों और इससे संबद्ध संस्थानों में शिक्षकों की कैरियर उन्नति) (तीसरा संशोधन) विनियम 2009। इन विनियमों के अनुसार वे उम्मीदवार जो विनियम 2009 के अनुपालन में पीएचडी डिग्री से सम्मानित हैं या उन्हें सम्मानित किया गया है, उन्हें आवश्यकता से छूट दी जानी है। विश्वविद्यालयों/कॉलेजों/संस्थानों में सहायक प्रोफेसर या समकक्ष पदों की भर्ती और नियुक्ति के लिए NET/SLET की न्यूनतम पात्रता शर्त। यह विवाद में नहीं है कि इन सभी याचिकाकर्ताओं ने विनियम 2009 के अनुपालन में पीएचडी डिग्री प्राप्त की है। दिल्ली विश्वविद्यालय बनाम राज सिंह (पूर्व) और नीरज मलिक (पूर्व) के अनुपात को देखते हुए ऐसे विनियमों का बाध्यकारी प्रभाव पड़ता है। एक बार जब याचिकाकर्ता यूजीसी द्वारा बनाए गए नियमों के आवेदन पर छूट के हकदार हो जाते हैं, तो उन्हें लागू नियमों के आधार पर

वंचित नहीं किया जा सकता है, जो यूजीसी द्वारा बनाए गए नियमों के विपरीत हैं। हमें लगता है कि उनके विनियमों को समाप्त करने और उन्हें यूजीसी विनियमों के साथ टकराव में डालने के बजाय कार्रवाई का उचित तरीका ऐसे प्रावधान के लिए औचित्य और आवश्यकता को इंगित करना हो सकता था जैसा कि उत्तरदाताओं ने अपने विनियमों में किया है और यूजीसी को इसके लिए राजी करना चाहिए। इसी तरह के संशोधन लेकर आएं।

इस प्रकार, हमारे पास सेवा नियम, 2010 और साथ ही हरियाणा शिक्षा (कॉलेज कैडर) ग्रुप बी सेवा (संशोधन) नियम, 2013 को उस हद तक रद्द करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, जहां तक ये नियम निर्दिष्ट करते हैं कि पीएच.डी. केवल उन्हीं निजी विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान की गई डिग्रियों पर विचार किया जाएगा जिन्हें नेट के बदले छूट के लिए एनए एसी द्वारा 'ए' ग्रेड विश्वविद्यालयों के रूप में मान्यता दी गई है।

(पैरा 21)

याचिकाकर्ताओं की ओर से राज कपूर मलिक, श्री संदीप कोडान और श्री विनोद भारद्वाज, वकील।

बी.एस.राणा, अतिरिक्त महाधिवक्ता, हरियाणा

ए.के. सीकरी, मुख्य न्यायाधीश

(1) इन रिट याचिकाओं में विचार के लिए महत्व का एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठता है, 'प्रतिवादी यानी हरियाणा राज्य ने हरियाणा शिक्षा (कॉलेज कैडर) ग्रुप-बी सेवा नियम 1986 (संक्षेप में, 1986 के नियम) के रूप में जाने जाने वाले नियमों को तैयार किया है। इन्हें भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधानों के तहत प्रख्यापित किया गया है। ये नियम कॉलेज कैडर में शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित हैं और अन्य सेवा शर्तें निर्धारित करते हैं।

(2) यह पार्टियों का एक सामान्य मामला है कि कॉलेज में सहायक प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) उत्तीर्ण करने की न्यूनतम पात्रता शर्त अनिवार्य है। हालांकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने उन उम्मीदवारों के लिए इस शर्त में छूट दी है जिनके पास पीएचडी डिग्री है। ऐसा प्रतीत होता है कि उत्तरदाताओं ने सहायक प्रोफेसर के पद पर भर्ती और नियुक्ति के लिए समान पात्रता शर्तों को निर्धारित करते हुए सेवा नियम 2010 भी बनाए हैं।

(3) विडो अधिसूचना दिनांक 5.11.2012 को सेवा नियम 2010 में संशोधन किया गया था। इस संशोधन में प्रावधान है कि कॉलेज में व्याख्याता के रूप में भर्ती और नियुक्ति के लिए नेट न्यूनतम पात्रता शर्त रहेगी। इस नियम के पहले प्रावधान में यह भी प्रावधान है कि पीएच.डी. धारक अभ्यर्थी। कॉलेजों में सहायक प्रोफेसर या समकक्ष पदों पर भर्ती और नियुक्ति के लिए डिग्री धारकों को नेट की न्यूनतम पात्रता शर्त की आवश्यकता से छूट दी जाएगी। हालाँकि, उपरोक्त संशोधन के साथ जो दूसरा परंतुक जोड़ा गया है, उसमें उल्लेख है कि ऐसे पीएच.डी. डिग्री राज्य/केंद्रीय विश्वविद्यालयों से प्राप्त की जानी चाहिए और पीएच.डी. केवल उन्हीं निजी विश्वविद्यालयों की डिग्री, जिन्हें राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (NAAC) द्वारा "ए" ग्रेड विश्वविद्यालयों के रूप में मान्यता दी गई है, को नेट के बदले छूट के लिए विचार किया जाएगा। इस प्रकार, यह संशोधन उन उम्मीदवारों को बाहर करता है जो पीएच.डी. धारक हैं। की उपाधि प्राप्त की है परन्तु उन्होंने ऐसी पी.एच.डी. प्राप्त की है। उन निजी विश्वविद्यालयों से डिग्री जिन्हें NAAC द्वारा "ए" ग्रेड के रूप में मान्यता नहीं दी गई है। यहां सभी याचिकाकर्ता इसी श्रेणी में आते हैं। इस कारण वर्तमान याचिकाओं के माध्यम से याचिकाकर्ता उपरोक्त संशोधन को चुनौती दे रहे हैं। हम यहां यह बताना चाहेंगे कि इन याचिकाओं के लंबित रहने के दौरान दिनांक 10.1.2013 की अधिसूचना के माध्यम से समान प्रावधानों को शामिल करते हुए हरियाणा शिक्षा (कॉलेज कैडर) ग्रुप बी सेवा (संशोधन) नियम, 2013 के नियम बनाकर 1986 के नियमों में भी संशोधन किया गया है।

(4) जैसा कि ऊपर से स्पष्ट है, इन सभी याचिकाओं में उठने वाला मुद्दा सामान्य है और इसलिए, इन याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की गई और ठीक इसी कारण से हम इन सभी याचिकाओं पर सभी मामलों के लिए सामान्य निर्णय द्वारा निर्णय ले रहे हैं।

(5) याचिकाकर्ताओं के अनुसार, प्रतिवादी-विश्वविद्यालय यूजीसी द्वारा जारी दिशानिर्देशों से बंधा हुआ है। यूजीसी ने उन सभी उम्मीदवारों को सहायक प्रोफेसर के पदों पर भर्ती और नियुक्ति के लिए निफ़ योग्यता प्राप्त करने से छूट दी है जिनके पास पीएचडी है। किसी भी विश्वविद्यालय से डिग्री, केवल शर्त यह है कि ऐसा विश्वविद्यालय यूजीसी द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 4 के तहत डीम्ड विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता प्राप्त हो (इसके बाद इसे "यूजीसी अधिनियम'1 के रूप में संदर्भित किया जाएगा)। "ए" ग्रेड विश्वविद्यालयों और अन्यथा श्रेणीबद्ध विश्वविद्यालयों के बीच कोई अंतर नहीं किया जाता है। इसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों और इससे संबद्ध संस्थानों में शिक्षकों की नियुक्ति और कैरियर उन्नति के लिए आवश्यक न्यूनतम योग्यता) (तीसरा संशोधन) विनियमन, 2009 में निहित प्रावधानों से प्रदर्शित करने की कोशिश की गई है, जो यूजीसी द्वारा शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाया गया है। यूजीसी अधिनियम की धारा 26 की उपधारा (एल) के खंड (सी) और (जी) द्वारा प्रदत्त।

उपरोक्त संशोधन द्वारा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों और उससे संबद्ध संस्थानों में शिक्षकों की नियुक्ति और कैरियर उन्नति के लिए आवश्यक न्यूनतम योग्यता) विनियमन, 2000 में संशोधन किया गया और जिस संशोधन से हम चिंतित हैं वह इस प्रकार है: -

“विश्वविद्यालयों/कॉलेजों/संस्थानों में व्याख्याताओं की भर्ती और नियुक्ति के लिए NET/SLET न्यूनतम पात्रता शर्त बनी रहेगी।

बशर्ते, जो अभ्यर्थी "विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (पीएचडी डिग्री प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानक और प्रक्रिया) विनियम 2009" के अनुपालन में पीएचडी डिग्री प्राप्त कर चुके हैं या उन्हें सम्मानित किया जा चुका है, उन्हें विश्वविद्यालयों/कॉलेजों/संस्थानों में सहायक प्रोफेसर या समकक्ष पदों की भर्ती और नियुक्ति के लिए नेट/सलेट की न्यूनतम पात्रता शर्त की आवश्यकता से छूट दी जाएगी।

यह बताया गया है कि उपरोक्त पूर्वोक्त के अनुसार पीएचडी डिग्री वाले सभी उम्मीदवारों को उस विश्वविद्यालय के स्नातक स्तर की परवाह किए बिना, जहां से ऐसी डिग्री प्राप्त की गई है, छूट दी गई है।

(6) (1) याचिकाकर्ताओं ने यूजीसी (एम.फिल/पीएचडी डिग्री के पुरस्कारों के लिए न्यूनतम मानक और प्रक्रिया) विनियमन 2009 का भी उल्लेख किया है और प्रस्तुत किया है कि ये नियम एम.फिल/पीएचडी के पुरस्कारों के लिए न्यूनतम मानकों के साथ-साथ प्रक्रिया भी प्रदान करते हैं। डिग्री और एक बार इन विनियमों में निर्धारित न्यूनतम मानकों को विश्वविद्यालय द्वारा पीएचडी डिग्री प्रदान करते समय पूरा किया जाता है और इसमें निर्धारित प्रक्रिया का भी पालन किया जाता है, तो नेट पास करने से छूट देने के प्रयोजनों के लिए ऐसी पीएचडी डिग्री को मान्यता न देने का कोई कारण नहीं है। इस प्रकार यह तर्क दिया गया है कि केवल राज्य/केंद्रीय विश्वविद्यालयों और उन निजी विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान की जाने वाली पीएचडी डिग्री को मान्यता देने वाला आक्षेपित संशोधन, जिन्हें एनएएसी द्वारा "ए" ग्रेड के रूप में मान्यता दी गई है और अन्य विश्वविद्यालयों की अनदेखी करना न केवल मनमाना और अनुचित है और अनुच्छेद का उल्लंघन करता है। संविधान के 14 लेकिन यह यूजीसी विनियमन, 2000 के साथ-साथ ऊपर उल्लिखित विनियमन 2009 के भी खिलाफ है। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि ऐसा प्रावधान रोजगार के लिए विचार किए जाने के अधिकार के विपरीत है जो याचिकाकर्ताओं के पक्ष में अर्जित हुआ है और विवादित संशोधन द्वारा इसे छीनने की मांग की गई है।

(7) प्रतिवादी-राज्य ने लिखित बयान दाखिल किया है जिसमें ऐसी शर्त लागू करने का औचित्य यह बताते हुए दिया गया है कि मंत्रिपरिषद ने 12.12.2012 को हुई अपनी बैठक में हरियाणा शिक्षा (कॉलेज कैडर) ग्रुप-बी में संशोधन को मंजूरी दे दी है। सेवा नियम 1986 के मद (सी) के नोट-1 में क्रम संख्या 9 के बाद कॉलम 3 और 4 के अंतर्गत निम्नलिखित पढ़ा जाता है :-

3 (नियुक्ति भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव, यदि कोई हो)	4 (नियुक्ति भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव, यदि कोई हो)
“(सी) राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (एनईटी) कॉलेजों में सहायक प्रोफेसर के रूप में भर्ती और नियुक्ति के लिए न्यूनतम पात्रता शर्त बनी रहेगी। आवेदन जमा करने पर सभी विषयों में सहायक प्रोफेसर के रूप में भर्ती और नियुक्ति के लिए नेट की न्यूनतम पात्रता शर्त की आवश्यकता से छूट दी जाएगी: बशर्ते, आगे, स्लैटक/सेंट्रल	"(सी) राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (एनईटी) कॉलेजों में सहायक प्रोफेसर के रूप में भर्ती और नियुक्ति के लिए न्यूनतम पात्रता शर्त बनी रहेगी, आवेदन जमा करने पर सभी विषयों में सहायक प्रोफेसर के रूप में भर्ती और नियुक्ति के लिए नेट की न्यूनतम पात्रता शर्त की आवश्यकता से छूट दी जाएगी: बशर्ते, आगे, पीएचडी विश्वविद्यालय या

विश्वविद्यालयों या केवल उन प्राइवेट/डिसीएमसीडी विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान की गई पीएचडी डिग्री, जिन्हें राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) द्वारा 'ए' विश्वविद्यालयों के रूप में मान्यता प्राप्त है, को नेट के बदले में छूट के लिए विचार किया जाएगा। . बशर्ते कि ऐसे विषयों में मास्टर कार्यक्रमों के लिए नेट की आवश्यकता नहीं होगी जिनके लिए कोई नेट नहीं है।"	केवल वे निजी/डीसीएमसीडी विश्वविद्यालय जिन्हें राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) द्वारा "ए" ग्रेड विश्वविद्यालयों के रूप में मान्यता दी गई है, उन्हें नेट के बदले छूट के लिए विचार किया जाएगा। प्रदाता! इसके अलावा ऐसे विषयों में मास्टर कार्यक्रमों के लिए एनआईटी की आवश्यकता नहीं होगी जिनके लिए कोई एनआईटी नहीं है।"

(8) यह प्रस्तुत किया गया है कि संदिग्ध पीएच.डी. को देखते हुए उपरोक्त संशोधन आवश्यक हो गया है। वर्तमान में देश भर में कुछ निजी/डीसीएमसीडी विश्वविद्यालयों द्वारा डिग्रियाँ प्रदान की जा रही हैं। उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को मानकीकृत करने के लिए सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया कि पीएच.डी. केवल उन्हीं निजी विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान की जाने वाली डिग्री पर विचार किया जाएगा जिन्हें एनए एसी द्वारा 'ए' ग्रेड विश्वविद्यालयों के रूप में मान्यता दी गई है और सेंडी नियमों में तदनुसार संशोधन किया गया है। यद्यपि निफ़ की शुरुआत यूजीसी द्वारा उच्च शैक्षणिक मानक वाले शिक्षकों के चयन के माध्यम से उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए की गई थी, तथापि, यह एक खुला रहस्य है कि ऐसे

कई विश्वविद्यालय हैं जिनके पास स्नातकोत्तर स्तर के शिक्षण के लिए भी पर्याप्त बुनियादी ढाँचा और संकाय नहीं है। लेकिन पीएचडी और डॉक्टर ऑफ साइंस जैसे कार्यक्रमों की पेशकश कर रहे हैं और इनमें से अधिकांश विश्वविद्यालय उन छात्रों को लक्षित करते हैं जो प्रमुख संस्थानों में जगह पाने में असफल होते हैं। इस प्रकार, देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा दी जाने वाली डिग्री का मानक अलग-अलग होता है। 'इसलिए, यूजीसी नेट को विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न स्नातकोत्तर डिग्रियों की शैक्षणिक क्षमता का परीक्षण करने के लिए एक बेंचमार्क माना जाता है। 'नेट का मानक बहुत ऊंचा है क्योंकि यह यूजीसी द्वारा आयोजित किया जाता है और इस कारण से नेट उत्तीर्ण उम्मीदवारों को कॉलेजों में सहायक प्रोफेसर के पदों पर भर्ती के लिए योग्य माना जाता है। इली प्रतिवादी ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि पीएच.डी. की मांग। डिग्री का चलन नेट के विकल्प के रूप में बढ़ गया है, क्योंकि यह डॉक्टरेट के लिए कठिन नेट परीक्षा पास किए बिना उच्च शिक्षण संस्थानों में नौकरी पाने का एक आसान विकल्प प्रदान करता है और यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त कई विश्वविद्यालय निम्न-मानक पीएचडी की पेशकश करते हैं। कार्यक्रम. इस प्रकार, प्रतिवादी ने "ए" ग्रेड विश्वविद्यालय की शर्त को उचित ठहराने की मांग की है, यदि यह एक निजी विश्वविद्यालय है।

(9) यह तर्क दिया जाता है कि जहां तक राज्य विश्वविद्यालयों का सवाल है, वे सरकार की सीधी निगरानी के तहत चलाए जा रहे हैं और शिक्षा के काफी उच्च मानक बनाए रखते हैं। सभी राज्य विश्वविद्यालय बुनियादी ढांचे, संकाय की नियुक्ति और अनुसंधान आदि के लिए यूजीसी संज्ञाओं को पूरी तरह से अपनाते हैं और अभ्यास करते हैं। हरियाणा राज्य में उच्च शिक्षा के मानक को ऊपर उठाने के लिए, यह निर्णय लिया गया है कि पीएच.डी. राज्य/केंद्रीय विश्वविद्यालयों या केवल उन निजी/डीसीईएमसीडी विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान की गई डिग्री, जिन्हें एनएएसी द्वारा "ए" ग्रेड विश्वविद्यालयों के रूप में मान्यता दी गई है, को नेट के बदले में छूट पर विचार किया जाएगा। एक नव नियुक्त सहायक प्रोफेसर 25-30 वर्षों तक शिक्षण पेशे में रहता है। यदि सर्वोत्तम उम्मीदवारों की भर्ती की जाती है, तो अंततः मानक स्वतः ही बढ़ जाएगा।

(10) एनएएसी की भूमिका पर जोर देते हुए, प्रतिवादी का कहना है कि इसकी स्थापना शिक्षा की गुणवत्ता में गिरावट के मुद्दों को संबोधित करने के लिए की गई है और यह यूजीसी द्वारा वित्त पोषित एक स्वायत्त निकाय है। प्रत्यायन एक उपकरण है जिसका उपयोग शिक्षा के मानक और गुणवत्ता के आकलन और मूल्यांकन की निगरानी के लिए किया जाता है। NAAC 1998-99 से कई मापदंडों के आधार पर कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की ग्रेडिंग कर रहा है, जिसमें विश्वविद्यालयों के बुनियादी ढांचे, संकाय की योग्यता, शिक्षण की नई पद्धति को

अपनाना और शोध प्रकाशन, सेमिनार, कार्यशालाएं, पुस्तकालय सुविधाएं और समग्र परिणाम जैसी गतिविधियां शामिल हैं।

(11) संक्षेप में, तर्क यह है कि सरकार ने उच्च शिक्षा के मानक में सुधार करने के उद्देश्य से सेवा नियमों में संशोधन किया है, खासकर तब जब राज्य देश के भविष्य के शैक्षिक केंद्र के लिए तैयार हो रहा है। प्रयास उच्च शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करना और वर्तमान शिक्षा प्रणाली में गुणात्मक परिवर्तन लाना है।

(12) संबंधित प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, हमारा विचार है कि जहां तक नियमों में संशोधन करने और केवल उन पीएच.डी. को छूट देने का तात्पर्य और उद्देश्य है। जिन डिग्री धारकों को केंद्रीय/राज्य विश्वविद्यालयों द्वारा डिग्री प्रदान की गई है और वे निजी विश्वविद्यालय जिन्हें एनएएसी द्वारा "ए" ग्रेड विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता दी गई है, वे प्रामाणिक हैं और यहां तक कि प्रशंसनीय भी प्रतीत होते हैं। हालाँकि इसके साथ ही महत्वपूर्ण प्रश्न जिस पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है वह यह है कि क्या राज्य के पास कोई नियम या शर्त हो सकती है जो यूजीसी द्वारा बनाए गए नियमों के विपरीत है। सब कुछ कहा और किया, भले ही हम मानते हैं कि इस तरह के प्रावधान के पीछे का उद्देश्य

सराहनीय है, अगर कानूनी स्थिति यह है कि राज्य सरकार के पास ऐसा प्रावधान नहीं हो सकता है जो यूजीसी विनियमों के विपरीत हो, तो यह न्यायिक जांच में खड़ा नहीं होगा।

(13) जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, इस संबंध में प्रतिवादी का तर्क यह है कि यूजीसी केवल एक सिफारिशी निकाय है और इसके प्रावधान राज्य पर बाध्यकारी नहीं हैं। यह तर्क दिया जाता है कि यूजीसी सभी राज्यों के विश्वविद्यालयों को मान्यता प्रदान करता है और कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में शिक्षा के न्यूनतम मानकों पर नियम बनाता है। अन्यथा, यह राज्य सरकार है जिसके पास विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए कोई गड़बड़ी और मानक तय करने का विशेषाधिकार नहीं है।

(14) 'दूसरी ओर, याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि यूजीसी द्वारा बनाए गए नियम बाध्यकारी हैं और इस प्रस्ताव के लिए, याचिकाकर्ताओं ने दिल्ली विश्वविद्यालय बनाम राज सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा किया है। जिसके बाद इस न्यायालय की एक डिवीजन बेंच ने सीडब्ल्यूपी-9839-1995 में दिनांक 12.7.1996 को अपने फैसले में **नीरजा मलिक बनाम हरियाणा राज्य(1)** का शीर्षक दिया।

(1) 1995 (1) एससीटी 1 (एससी)

(15) इन निर्णयों को पढ़ने के बाद, हमें याचिकाकर्ताओं के तर्कों में पर्याप्त बल मिलता है। लगभग ऐसी ही स्थिति राज सिंह (सुप्रा) की सहजता में उत्पन्न हो गई थी। उस मामले में, राज सिंह ने दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध तीन कॉलेजों में वाणिज्य में व्याख्याता के पद के लिए आवेदन किया था, लेकिन उन्हें इस आधार पर साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाया गया था कि उन्हें परीक्षा उत्तीर्ण करनी चाहिए थी। 'विश्वविद्यालय की इस कार्रवाई को उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर करके चुनौती दी थी। उनका कहना था कि इस संबंध में आवेदन के लिए विज्ञापन में यह नहीं कहा गया है कि उम्मीदवार को नियमों द्वारा निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण करनी चाहिए। यह तर्क दिया गया कि यूजीसी ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (किसी विश्वविद्यालय और उससे संबद्ध संस्थान के शिक्षण स्टाफ में नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति की आवश्यक योग्यताएं) विनियम, 1991 बनाया था, जिसमें ऐसी किसी भी परीक्षा को उत्तीर्ण करने
का प्रावधान नहीं था। 'विश्वविद्यालय ने यह तर्क देकर याचिका का विरोध किया कि उक्त विनियम यूजीसी की क्षमता से परे हैं और, किसी भी स्थिति में, वे निर्देशिका हैं और प्रकृति में अनिवार्य नहीं हैं। यह तर्क दिया गया कि दिल्ली विश्वविद्यालय एक स्वायत्त निकाय है और उस पर पात्रता की कोई शर्त नहीं लगाई जा सकती। यह स्पष्ट है कि दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा उठाया गया तर्क लगभग वही था जो प्रतिवादी-राज्य द्वारा उठाया गया था। 'हालांकि, दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली विश्वविद्यालय के तर्क को स्वीकार नहीं किया और यूजीसी

अनिल कुमार और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (मुख्य न्यायधीश ए.के सीकरी) आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा

द्वारा बनाए गए नियमों की वैधता को बरकरार रखा। 'सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखते हुए, दिल्ली विश्वविद्यालय अधिनियम, 1922 के विभिन्न प्रावधानों का अध्ययन किया और निष्कर्ष निकाला कि यह संसद है जिसके पास दिल्ली विश्वविद्यालय के संबंध में कानून बनाने की शक्ति है। इसके बाद शीर्ष अदालत ने यूजीसी अधिनियम के प्रावधानों की जांच की, जो यूजीसी अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-I की प्रविष्टि 66 के प्रावधानों के तहत अधिनियमित किए गए थे। अधिनियम की धारा 26 यूजीसी को अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुरूप विनियम बनाने का अधिकार देती है। अधिनियम की धारा 26 के खंड (सी) और (जी) को अंडरसीआर के रूप में पढ़ा जाएगा: -

'(सी) उन योग्यताओं को परिभाषित करना जो आमतौर पर किसी भी व्यक्ति को विश्वविद्यालय के शिक्षण स्टाफ में नियुक्त होने के लिए आवश्यक होनी चाहिए, शिक्षा की उस शाखा को ध्यान में रखते हुए जिसमें उससे निर्देश देने की उम्मीद की जाती है।

(छ) विश्वविद्यालयों में मानकों के रखरखाव और काम या सुविधाओं के समन्वय को विनियमित करना।

अनिल कुमार और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (मुख्य न्यायधीश ए.के सीकरी) आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा

सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि विनियम, 1991, यूजीसी की धारा 14 के साथ पढ़ी गई धारा 26(एल)(सी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके बनाए गए थे। अधिनियम और यूजीसी अधिनियम की धारा 2 के खंड (1) के तहत संबंधित विश्वविद्यालय के परामर्श से आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त एक घटक या संबद्ध कॉलेज सहित प्रत्येक संस्थान पर लागू होता है और प्रत्येक संस्थान को धारा 3 के तहत एक विश्वविद्यालय माना जाता है। उक्त अधिनियम. अन्य बातों के साथ-साथ, इन विनियमों को तैयार करने के इतिहास पर भी ध्यान दिया गया, जिसमें बताया गया कि उक्त विनियमों की उत्पत्ति समय-समय पर शिक्षाविदों के विशेषज्ञ निकायों द्वारा की गई सिफारिशों में पाई जा सकती है। इस संबंध में विशेषज्ञ निकायों की विभिन्न रिपोर्टों पर ध्यान दिया गया। इसके बाद यूजीसी की कार्यप्रणाली की कानूनी स्थिति को निम्नलिखित तरीके से चित्रित किया गया:

“66.'यू.जी.सी. का प्रमुख कार्य। धारा 12 के शुरुआती शब्दों में कहा गया है, इस प्रकार "यह आयोग का सामान्य कर्तव्य होगा कि वह ऐसे सभी कदम उठाए जो वह विश्वविद्यालय शिक्षा के प्रचार और समन्वय और मानकों के निर्धारण और रखरखाव के लिए उचित समझे।" विश्वविद्यालयों में शिक्षण, परीक्षा और अनुसंधान के मामले में यह ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है कि आयोग पर ऐसे सभी कदम उठाने का कर्तव्य है जो वह शिक्षण के मानकों के निर्धारण और रखरखाव के लिए उचित समझे। ये बहुत व्यापक शक्तियां हैं। हमारे विचार

में, ऐसी शक्तियां, विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में व्याख्याता का पद संभालने के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता रखने वालों को लिखित परीक्षा में बैठने के लिए बाध्य करने की शक्ति को समझती हैं, जिसके उत्तीर्ण होने से यह स्थापित हो जाएगा कि उनके पास इसके लिए न्यूनतम दक्षता है। ऐसे पद धारण करना. इस तरह के परीक्षण की आवश्यकता ऊपर उल्लिखित आयोगों और शिक्षाविदों की समितियों की रिपोर्टों से प्रदर्शित होती है जो देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में शिक्षा के मानकों में असमानताओं पर ध्यान देते हैं। यह स्पष्ट है कि एक विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री धारक आवश्यक रूप से दूसरे विश्वविद्यालय से उसी स्नातकोत्तर डिग्री धारक के समान मानक का नहीं है, यही उक्त विनियमों द्वारा निर्धारित परीक्षण का औचित्य है। यह पूरी तरह से प्रविष्टि 66 और यू.जी.सी. के दायरे में आता है। कार्य करें क्योंकि इसका उद्देश्य मानकों और यू.जी.सी. का समन्वय करना है। अधिनियम ऐसे सभी कदम उठाने की शक्ति से लैस है जो वह इस संबंध में उचित समझे। यू.जी.सी. के तहत अपने सामान्य कर्तव्य और इसके अन्य कार्यों को करने के लिए। अधिनियम, यू.जी.सी. धारा 12 के विभिन्न खंडों में निर्दिष्ट शक्तियां निहित हैं। इनमें विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार के लिए आवश्यक उपायों की सिफारिश करने और ऐसी सिफारिश को लागू करने के उद्देश्य से की जाने वाली कार्रवाई के संबंध में सलाह देने की शक्ति शामिल है। (खंड (डी)). यूजीसी को ऐसे अन्य कार्य करने की शक्ति भी दी गई है जो निर्धारित किए जा सकते हैं या भारत में उच्च शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए

आवश्यक समझे जा सकते हैं या जो ऐसे कार्यों के निर्वहन के लिए आकस्मिक या प्रवाहकीय हो सकते हैं (खंड (जे))। यूजीसी को सशक्त बनाने के लिए ये दो खंड भी काफी व्यापक हैं। उक्त विनियम तैयार करने के लिए। धारा 14 के कारण, यूजीसी को किसी विश्वविद्यालय का अनुदान रोकने का अधिकार है यदि विश्वविद्यालय उचित समय के भीतर उसकी सिफारिशों का पालन करने में विफल रहता है, लेकिन विश्वविद्यालय द्वारा दिखाए गए किसी भी कारण पर विचार करने के बाद ही ऐसा करना आवश्यक है। ऐसी विफलता. धारा 26 यूजीसी को यूजीसी अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुरूप नियम बनाने के लिए अधिकृत करती है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उन योग्यताओं को परिभाषित करना शामिल है जो शिक्षा की शाखा को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय के शिक्षण स्टाफ में नियुक्त होने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए आवश्यक होनी चाहिए। जिसमें उससे निर्देश देने की अपेक्षा की जाती है (उपधारा (1) का खंड (सी)); और विश्वविद्यालयों में मानकों के रखरखाव और कार्य या सुविधाओं के समन्वय को विनियमित करना (खंड (जी))। हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि 'परिभाषित' शब्द का अर्थ सटीक या विशिष्ट रूप से निर्धारित करना है। शब्द 'योग्यता', जैसा कि खंड (सी) में प्रयोग किया गया है, व्यापक आयाम वाला है और इसमें यू.जी.सी. द्वारा निर्धारित बुनियादी पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता शामिल होगी। खंड (सी) में 'योग्यता' शब्द निश्चित रूप से धारा 12ए(1)(डी) में परिभाषित शब्द 'योग्यता' से अधिक व्यापक है, जो स्पष्ट रूप से बताए गए शब्दों में एक परिभाषा है जो

केवल धारा 12 ए के प्रावधानों पर लागू होती है। योग्यता की यह परिभाषा, जिसका अर्थ किसी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गई डिग्री या कोई अन्य योग्यता है, जिसे पूरे अधिनियम में लागू करने का इरादा है, इसे परिभाषा अनुभाग, अर्थात् धारा 2 में जगह मिली होगी।

(16) विनियमों की प्रकृति पर टिप्पणी करते हुए, न्यायालय ने निम्नलिखित प्रासंगिक टिप्पणियाँ कीं:

"अब हम उक्त विनियमों का विश्लेषण करने की ओर मुड़ते हैं। वे केंद्रीय अधिनियम, प्रांतीय अधिनियम या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके तहत स्थापित या निगमित विश्वविद्यालय, प्रत्येक संस्थान, जिसमें संबंधित विश्वविद्यालय के परामर्श से यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त घटक या संबद्ध कॉलेज शामिल हैं और प्रत्येक संस्थान पर लागू होते हैं। एक विश्वविद्यालय हो. इस प्रकार उक्त विनियम कला का उद्देश्य यथासंभव व्यापक अनुप्रयोग करना है, जैसा कि वास्तव में होना चाहिए, यदि वे उद्देश्य की पूर्ति के लिए हैं, अर्थात् यह सुनिश्चित करने के लिए कि व्याख्याता के पद के लिए सभी आवेदकों ने चाहे जिस भी विश्वविद्यालय से न्यूनतम योग्यता की डिग्री प्राप्त की हो, उन्हें स्थापित करना होगा। कि उनके पास देश के सभी विश्वविद्यालयों में व्याख्याताओं के लिए आवश्यक दक्षता हो। उक्त विनियमों का खंड 2 इस प्रकार आदेश देता है: "किसी भी व्यक्ति को किसी विषय में

विश्वविद्यालय में शिक्षण पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा यदि वह अनुसूची 1 में प्रदान की गई उचित विषय के लिए योग्यता की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है", खंड 2 का पहला प्रावधान किसी विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित योग्यताओं में छूट की अनुमति देता है, बशर्ते कि इसे यू.जी.सी. की पूर्व मंजूरी के साथ बनाया गया हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि धारा 26 (एल) (सी) के प्रावधानों के तहत बनाए गए उक्त विनियम, इन योग्यताओं को परिभाषित करते हैं। जो आमतौर पर एक व्याख्याता के लिए आवश्यक हैं और अनिवार्य रूप से नहीं। खंड 2 का दूसरा प्रावधान उक्त विनियमों के आवेदन को संभावित बनाता है। उक्त विनियमों का खंड 3 खंड 2 में की गई सिफारिश का पालन करने में विश्वविद्यालय की विफलता के परिणाम का प्रावधान करता है। यू.जी.सी. अधिनियम की धारा 14 में निर्धारित शर्तों के समान। उक्त विनियमों के खंड 2 के प्रावधान, इसलिए, अनुशंसात्मक चरित्र के हैं। यह खंड के प्रावधानों का अनुपालन करने के लिए एक विश्वविद्यालय के लिए खुला होगा 2. केवल ऐसे व्यक्तियों को व्याख्याता के रूप में नियोजित करना जो उक्त विनियमों की अनुसूची में दिए गए उचित विषय के लिए योग्यता संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करते हों। विशिष्ट मामलों में, विश्वविद्यालय के लिए यूजीसी की पूर्वानुमति प्राप्त करना भी खुला होगा। इन आवश्यकताओं को शिथिल करने के लिए. फिर भी, यह विश्वविद्यालय के लिए खुला होगा कि वह खंड 2 के प्रावधानों का अनुपालन न करे, जिसमें आसानी होगी, यदि वह यूजीसी को संतुष्ट करने में विफल रहता है। उसने अच्छे उद्देश्य के लिए ऐसा किया है, इससे

उसे यू.जी.सी. से मिलने वाला अनुदान खोना पड़ेगा। टीएचसी ने कहा कि नियम विश्वविद्यालय की अपने शिक्षकों का चयन करने की शक्ति में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। 'विश्वविद्यालय अभी भी अपने व्याख्याताओं का चयन लिखित परीक्षा और साक्षात्कार या दोनों से कर सकता है। उक्त विनियमों द्वारा निर्धारित बुनियादी पात्रता परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को कोई अंक या रैंक नहीं दिया जाता है और इसलिए, इसे पास करने वाले सभी लोग समान स्तर पर खड़े होते हैं। 'इसलिए, इस प्रक्रिया में चयन का कोई तत्व नहीं है।' विश्वविद्यालय की स्वायत्तता, उक्त विनियमों द्वारा प्रभावित नहीं होती है।'

(17) उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि वर्तमान मामले में प्रतिवादी-राज्य द्वारा उठाई गई लगभग समान दलीलों को शीर्ष अदालत द्वारा उपरोक्त तरीके से खारिज कर दिया गया था।

(18) इसलिए, तर्क यह है कि यूजीसी केवल एक सिफारिशी निकाय है जो विश्वविद्यालयों को सिफारिशें प्रदान करता है और इसकी भूमिका कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में शिक्षा के न्यूनतम मानकों और नियुक्ति के लिए यूजीसी द्वारा निर्धारित दोपहर पर विनियम बनाने में सीमित है। विभिन्न पदों के लिए आवेदन केवल अनुशंसात्मक हैं, अनिवार्य नहीं, इसलिए इसे अस्वीकार कर दिया जाएगा। यह बताना भी महत्वपूर्ण होगा कि राज सिंह (पूर्व) मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने **उस्मानिया यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और**

अनिल कुमार और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (मुख्य न्यायधीश ए.के सीकरी) आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा

अन्य (2) के मामले में पहले के फैसलों पर ध्यान दिया था। उस मामले में जो आयोजित किया गया वह हमारे उद्देश्यों के लिए भी महत्वपूर्ण होगा, जैसा कि निम्नलिखित से स्पष्ट है:

"उस्मानिया विश्वविद्यालय शिक्षक संघ बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य.. 11987] 3 एससीआर 949 में, उच्च शिक्षा अधिनियम, 1986 के आंध्र प्रदेश आयोग की वैधता प्रश्न में थी। इसे उच्च शिक्षा से संबंधित मामलों में राज्य सरकार को सलाह देने और इसके विकास की निगरानी करने और उच्च शिक्षा के मानकों में उत्कृष्टता को आगे बढ़ाने और बनाए रखने के लिए आवश्यक सभी कार्य करने के लिए एक आयोग के गठन का प्रावधान करने के लिए अधिनियमित किया गया था। 'इस कानून को उच्च न्यायालय ने बरकरार रखा था। इस अदालत ने अपील पर इसके विपरीत फैसला सुनाया। इसमें पाया गया कि सूची -। की प्रविष्टि 66 ने संघ को यह अधिकार दिया कि वह देश में उच्च शिक्षा के आवश्यक मानक को बनाए रखे। उच्च शिक्षा के मानकों का समन्वय और निर्धारण करना केंद्र सरकार की विशेष जिम्मेदारी थी। 'उस शक्ति में राष्ट्रीय महत्व की किसी भी परियोजना का मूल्यांकन, सामंजस्य और उचित संबंध सुनिश्चित करने की शक्ति शामिल थी। उच्च शिक्षा में उचित

(2) (1987) 3 एससीआर 949

मानकों के साथ ऐसी समन्वित कार्रवाई राष्ट्रीय प्रगति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थी। संसद के पास सूची-1 में शामिल मामलों के संबंध में कानून बनाने की विशेष शक्ति थी और राज्य के पास ऐसे मामलों के संबंध में कोई शक्ति नहीं थी। यदि राज्य सूची-1 के अंतर्गत आने वाले किसी विषय पर कानून बनाता है, तो राज्य का कानून अमान्य हो जाता है। न्यायालय ने कहा, ''भारत का संविधान संसद को उच्च शिक्षा के लिए संस्थानों में मानकों के समन्वय और निर्धारण के संबंध में विशेष अधिकार देता है।'' संसद ने उस उद्देश्य के लिए यूजीसी अधिनियम बनाया है। इसलिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को देश के शैक्षणिक जीवन को आकार देने में एक बड़ी भूमिका निभानी है। यह विश्वविद्यालयों में उच्च मानक बनाए रखने के अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटेगा। लोकतंत्र अपने जीवन के लिए सामान्य, व्यावसायिक और पेशेवर शिक्षा के उच्च मानकों पर निर्भर करता है, सर्वांगीण अनुशासन के साथ नए ज्ञान की खोज के साथ सीखने का प्रसार हर कीमत पर बनाए रखा जाना चाहिए। आशा है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग राष्ट्रीय के प्रति अपनी जिम्मेदारी का विधिवत निर्वहन करेगा और विश्वविद्यालयों के शैक्षणिक जीवन में आवश्यक परिवर्तन लाने के लिए बढ़ती भूमिका निभाएगा।''

(19) नीरजा मलिक (सुप्रा) मामले में, इस न्यायालय की डिवीजन बेंच हरियाणा लोक सेवा आयोग (इसके बाद 'आयोग' के रूप में संदर्भित) के याचिकाकर्ता के दावे को खारिज करने

के फैसले की वैधता से चिंतित थी, जिस पर विचार किया जाना था। अंग्रेजी में व्याख्याता के रूप में नियुक्ति 'याचिकाकर्ता को 1 7.10.1988 को छोटू राम आर्य कॉलेज सोनीपत में एक स्थायी पद के खिलाफ विधिवत गठित चयन समिति द्वारा अंग्रेजी में व्याख्याता के रूप में नियुक्त किया गया था। आयोग ने व्याख्याता (अंग्रेजी) (कॉलेज ग्रेड) के पद पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था और याचिकाकर्ता ने अपना आवेदन भी प्रस्तुत किया था। उन्हें इस आधार पर साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाया गया कि उन्होंने पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की थी। इस निर्णय को याचिकाकर्ता ने उपरोक्त रिट याचिका दायर करके इस आधार पर चुनौती दी थी कि उसकी उम्मीदवारी को खारिज नहीं किया जा सकता था क्योंकि यूजीसी ने नियमित के बाद स्थायी आधार पर व्याख्याता के रूप में सेवा करने वाले व्यक्तियों के लिए पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता में पहले ही छूट दे दी थी। विधिवत गठित चयन समिति द्वारा चयन। हरियाणा राज्य ने इस आधार पर याचिका का विरोध किया था कि दिनांक 19.9.1991 की अधिसूचना के अनुसार कोई भी उम्मीदवार जिसने पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है, उसे व्याख्याता के पद पर भर्ती के लिए विचार नहीं किया जा सकता है। यह भी तर्क दिया गया कि यूजीसी के निर्णय को बाध्यकारी नहीं माना जा सकता क्योंकि इसे यूजीसी अधिनियम की धारा 26(1)(ए) के साथ पढ़ी गई धारा 14 के संदर्भ में अधिसूचित नहीं किया गया था। उस याचिका में यूजीसी भी एक पक्ष था और अपने हलफनामे में उसने बताया था कि अपनी 347वीं बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, यूजीसी ने व्याख्याताओं और एक

उम्मीदवार की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता को संशोधित किया, जिसे विधिवत गठित की सिफारिशों पर नियुक्त किया गया था। सितंबर, 1991 से पहले समिति, 1991 के विनियमों में निर्धारित योग्यताओं को पूरा किए बिना व्याख्याता के पद के लिए पात्र थी। इस न्यायालय ने यूजीसी द्वारा बनाए गए विनियम, 1991 और राज्य विश्वविद्यालयों सहित विभिन्न प्रकार के संस्थानों में इसकी प्रयोज्यता पर ध्यान दिया। न्यायालय ने यूजीसी द्वारा पारित उस प्रस्ताव पर भी ध्यान दिया, जिसमें स्थायी आधार पर व्याख्याता के रूप में नियुक्त किए गए लोगों को पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने से छूट दी गई थी और अस्थायी पदों पर नियुक्त किए गए लोगों को भी अर्हता पात्रता परीक्षा से समान छूट देने का निर्णय लिया गया था। न्यायालय ने माना कि ये निर्णय उत्तरदाताओं पर बाध्यकारी थे। उक्त निर्णय का महत्वपूर्ण भाग नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है:

"11. निर्विवाद रूप से हरियाणा राज्य ने वर्ष 1991 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा बनाए गए विनियमों को स्वीकार कर लिया है और इन विनियमों को विभिन्न विश्वविद्यालयों से संबद्ध कॉलेजों में विभिन्न शिक्षण पदों पर भर्ती के उद्देश्य से लागू माना गया है। इसलिए, यदि यह पाया जाता है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर दी गई छूट/स्पष्टीकरण विनियमों के अनुरूप नहीं हैं, तो वे राज्य सरकार के साथ-साथ आयोग (प्रतिवादी संख्या 2) पर भी बाध्यकारी होंगे।

12. प्रतिवादी संख्या 1 और 2 के विद्वान वकील का तर्क कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 14.2.1995 को आयोजित 347वीं बैठक में लिए गए निर्णयों का पालन करना आवश्यक नहीं है क्योंकि उन्हें भारत के राजपत्र में अधिसूचित नहीं किया गया है। जैसा कि अधिनियम की धारा 26(1) द्वारा अपेक्षित है, हमारे विचार में यह गलत धारणा है। एक बार जब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा बनाए गए विनियमों को अधिसूचित कर दिया जाता है और इन विनियमों में निर्धारित योग्यताओं में छूट का प्रावधान होता है, जिसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की पूर्व मंजूरी के साथ लाया जा सकता है, तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुमोदित छूट, यदि कोई हो, दी जाएगी। इस तथ्य के बावजूद प्रभावी हो कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का निर्णय आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित नहीं किया गया है। यदि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1991 के विनियमों में संशोधन करना चाहता था तो वह भारत के राजपत्र में उनके प्रकाशन के बाद ही प्रभावी हो सकता था, लेकिन विनियम 2 के प्रावधान के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा लिए गए निर्णय की आवश्यकता नहीं है। प्रकाशित किया जाए ताकि प्रभावी हो सके। ऐसे निर्णय को प्रसारित करना और शैक्षणिक संस्थानों तथा राज्य सरकार को इसकी सूचना देना पर्याप्त है। इसलिए हमें उत्तरदाताओं क्रमांक। और 2 के वकील की इस दलील में कोई दम नहीं मिला कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा

अपनी 347वीं बैठक में दी गई छूट प्रभावी और बाध्यकारी नहीं है क्योंकि इसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित नहीं किया गया है। हमारी राय में विनियम 2 का प्रावधान (1) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कोव्याख्याताओं आदि की भर्ती के लिए निर्धारित योग्यताओं में छूट के मुद्दे पर प्रशासनिक निर्णय लेने का अधिकार देता है और ऐसा निर्णय उन सभी प्राधिकारियों पर बाध्यकारी है, जिन्हें निर्माण करते समय अधिनियम के प्रावधानों का पालन करना आवश्यक है।

13. इस संबंध में, दिल्ली विश्वविद्यालय बनाम राज सिंह 1995(1) एससीटी 1 (एससी): 1994(5) एसएलआर 286 मामले में सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले का संदर्भ लेना उपयोगी होगा। यह एक सहजता थी दिल्ली विश्वविद्यालय ने 1991 के विनियमों के प्रावधानों का पालन करने में अपनी अनिच्छा दिखाई थी। इसके समक्ष दायर रिट याचिकाओं पर, दिल्ली उच्च न्यायालय ने विश्वविद्यालय को 1991 के विनियमों के प्रावधानों के अनुसार उम्मीदवारों का चयन सख्ती से करने के लिए आदेश जारी किया। अपील में सर्वोच्च न्यायालय के आधिपत्य ने प्रथम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों की पुष्टि की और माना कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा बनाए गए नियम किसी भी तरह से विश्वविद्यालय की स्वायत्तता पर प्रभाव नहीं डालते। उनके आधिपत्य में :-

अनिल कुमार और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (मुख्य न्यायधीश ए.के सीकरी) आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा

“प्रविष्टि 66 का दायरा पहले से ही गुजरात विश्वविद्यालय और उस्मानिया विश्वविद्यालय के मामलों में इस न्यायालय के निर्णय का विषय रहा है। यूजीसी अधिनियम अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रविष्टि 66 के प्रावधानों के तहत अधिनियमित किया गया है। इसका संक्षिप्त शीर्षक, वास्तव में प्रविष्टि 66 के शब्दों को पुन: प्रस्तुत करता है। यूजीसी का मुख्य कार्य धारा 12 के शुरुआती शब्दों में इस प्रकार निर्धारित किया गया है "यह आयोग का सामान्य कर्तव्य होगा कि वह ऐसे सभी कदम उठाए।" यह विश्वविद्यालय शिक्षा के प्रचार और समन्वय के लिए और विश्वविद्यालयों में शिक्षण, परीक्षा और अनुसंधान के मानकों के निर्धारण और रखरखाव के लिए उपयुक्त हो सकता है..." यह ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है कि आयोग पर एक कर्तव्य डाला गया है "शिक्षण के मानकों के निर्धारण और रखरखाव के लिए ऐसे सभी कदम उठाएं जो वह उचित समझें..."। ये बहुत व्यापक शक्तियाँ हैं। हमारे विचार में ऐसी शक्तियां उन लोगों को लिखित परीक्षा में बैठने के लिए बाध्य करने की शक्ति को समझती हैं जिनके पास विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में व्याख्याता के पद को संभालने के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता है, जिसके उत्तीर्ण होने से यह स्थापित हो जाएगा कि उनके पास ऐसे पद को संभालने के लिए न्यूनतम दक्षता है ।”

सर्वोच्च न्यायालय की इन टिप्पणियों से यह स्पष्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न शिक्षकों आदि की भर्ती के लिए योग्यता निर्धारित करने वाले नियम बनाने के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिकार को स्पष्ट रूप से मान्यता दी है। तार्किक परिणाम के रूप में यह

माना जाना चाहिए कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पास पूर्ण शक्ति है 1991 के विनियम 2 के पहले प्रावधान के अधिकार में छूट देने के लिए और किसी भी सरकार या विश्वविद्यालय के लिए यह औचित्य नहीं हो सकता है कि वह इस आधार पर इस तरह की छूट को नजरअंदाज कर दे कि यह राजपत्र में प्रकाशित नहीं है।"

(20) एकमात्र अंतर यह है कि यूजीसी ने अब विनियम, 2009 तैयार किया है जैसा कि ऊपर बताया गया है। इसके विनियम 2 में यह भी प्रावधान है कि ये विनियम केंद्रीय अधिनियम, प्रांतीय अधिनियम या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके तहत स्थापित या निगमित प्रत्येक विश्वविद्यालय पर लागू होंगे, प्रत्येक संस्थान जिसमें एक घटक या एक संबद्ध कॉलेज शामिल है। आयोग द्वारा संबंधित विश्वविद्यालय के परामर्श से मान्यता प्राप्त है। यूजीसी अधिनियम की धारा 2 का खंड (एफ) और प्रत्येक संस्थान को उक्त अधिनियम की धारा 3 के तहत एक विश्वविद्यालय माना जाता है। ये नियम यूजीसी अधिनियम की धारा 26 की उप-धारा (1) के खंड (सी) और (जी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाए गए हैं, जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (इसके लिए आवश्यक न्यूनतम योग्यता) के माध्यम से संशोधित किया गया है। विश्वविद्यालयों और इससे संबद्ध संस्थानों में शिक्षकों की नियुक्ति और कैरियर उन्नति) (तीसरा संशोधन) विनियम 2009। इन विनियमों के अनुसार वे उम्मीदवार जो विनियम, 2009 के अनुपालन में पीएचडी डिग्री से सम्मानित हैं या उन्हें

सम्मानित किया गया है, उन्हें आवश्यकता से छूट दी जानी है। विश्वविद्यालयों/कॉलेजों/संस्थानों में सहायक प्रोफेसर या समकक्ष पदों की भर्ती और नियुक्ति के लिए NET/SLET की न्यूनतम पात्रता शर्त। यह विवाद में नहीं है कि इन सभी याचिकाकर्ताओं ने विनियम 2009 के अनुपालन में पीएचडी डिग्री प्राप्त की है। दिल्ली विश्वविद्यालय बनाम राज सिंह (सुप्रा) और नीरजा मलिक (सुप्रा) के अनुपात के बाद ऐसे विनियम बाध्यकारी प्रभाव डालते हैं। एक बार जब याचिकाकर्ता यूजीसी द्वारा बनाए गए विनियमों के आवेदन पर छूट के हकदार हो जाते हैं, तो उन्हें उन विनियमों के आधार पर वंचित नहीं किया जा सकता है, जो यूजीसी द्वारा बनाए गए नियमों के विपरीत हैं। हमें लगता है कि उनके विनियमों में संशोधन करने और उन्हें यूजीसी विनियमों के साथ टकराव में लाने के बजाय समान संशोधन के साथ कार्रवाई का उचित तरीका ऐसे प्रावधान के लिए औचित्य और आवश्यकता को इंगित करना हो सकता था जैसा कि उत्तरदाताओं ने अपने विनियमों में किया है और यूजीसी को इसके लिए राजी करना चाहिए था ।

(20) इस प्रकार हमारे पास सेवा नियम 2010 और साथ ही हरियाणा शिक्षा (कॉलेज कैडर) ग्रुप बी सेवा (संशोधन) नियम 2013 को इस हद तक रद्द करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है कि ये नियम निर्दिष्ट करते हैं कि पीएचडी डिग्री केवल उन निजी विश्वविद्यालयों द्वारा

प्रदान की जाती है। उन पर विचार किया जाएगा जिन्हें नेट के बदले छूट के लिए एनए एसी द्वारा 'ए' ग्रेड विश्वविद्यालयों के रूप में मान्यता दी गई है।

(21) हालांकि, लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

के. सूरी

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

अंकिता महाजन

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

कैथल, हरियाणा

अनिल कुमार और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (मुख्य न्यायधीश ए.के सीकरी) आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा